DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

5 September, 2024

संविधान की दसवीं अनुसूची

संदर्भ: *हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने दलबदल करने वाले विधायकों को पेंशन देने से इनकार करने वाला विधेयक पारित किया है।*

➢ **अवलोकन:**

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने दसवीं अनुसूची के दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की पेंशन रद्द करके विधायकों को दल बदलने से रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया है।

➢ **भारतीय संविधान की अनुसूचियां**

- उद्देश्य: शक्तियों तथा कार्यों का विभाजन।
- अनुसूचियों की वर्तमान संख्या: 12 (आरंभ में 8)
- प्रेरणा: भारत सरकार अधिनियम 1935 की अनुसूचियों पर आधारित।

➢ **दसवीं अनुसूची**

- दसवीं अनुसूची, जिसे " **दल-बदल विरोधी अधिनियम " के रूप में भी जाना जाता है, 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम** द्वारा पेश किया गया था।
- इसका उद्देश्य राजनीतिक दलबदल को रोकना तथा दलबदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता को विनियमित करके विधायिका में स्थिरता सुनिश्चित करना है।

➢ **दसवीं अनुसूची के प्रावधान**

- **अयोग्यता के आधार:**
  - **स्वैच्छिक त्यागपत्र:** यदि कोई निर्वाचित सदस्य उस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग देता है जिसने उसे निर्वाचित किया है तो वह अयोग्य हो जाता है।
  - **किसी अन्य पार्टी में शामिल होना:** यदि कोई सदस्य एक पार्टी का सदस्य चुने जाने के बाद किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
  - **विभाजन और विलय:** पार्टी विभाजन और विलय से संबंधित परिदृश्यों के लिए भीअयोग्यता के प्रावधान भी रेखांकित किए गए हैं।
- **अपवाद:**
  - **विलय के कारण दलबदल:** यदि किसी सदस्य की पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाता है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाता, बशर्ते कि वह विलय की गई नई पार्टी का सदस्य हो।
  - **अध्यक्ष का निर्णय:** सदन के अध्यक्ष को दसवीं अनुसूची के आधार पर अयोग्यता के मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है।

➢ **कार्यान्वयन**

- **प्राधिकार:** दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने का दायित्व लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति का है।
- **न्यायिक समीक्षा** : अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं, हालांकि न्यायपालिका आमतौर पर अध्यक्ष के निर्णयों में हस्तक्षेप करने से बचती है।

➢ **दसवीं अनुसूची में संशोधन**

- **पहला संशोधन (1985)** : राजनीतिक दलबदल को रोकने और विधायी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- **91वां संशोधन (2003)** : दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को बढ़ाया गया तथा फ्लोर-क्रॉसिंग को रोकने और स्थिरता में सुधार करने के लिए खामियों को दूर किया गया।

➢ **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और व्याख्याएँ**

- **किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हु (1992)** : दसवीं अनुसूची की संवैधानिकता को बरकरार रखा, दलबदल मामलों में अध्यक्ष की भूमिका को स्पष्ट किया और न्यायिक समीक्षा को स्वीकार किया।
- **राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (2007)** : अयोग्यता के मुद्दों को संबोधित किया गया, ऐसे मामलों में अध्यक्ष के अधिकार की पुष्टि की गई।

रेत खनन

संदर्भ: *हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रतिक्रिया को तेज कर दिया है।*

➢ **अवलोकन :**

- आंध्र प्रदेश सरकार ने GO 43पेश किया, जिसने पिछली रेत नीतियों (नई रेत खनन नीति 2019 और उन्नत रेत नीति 2021) को वापस ले लिया और उन्हें रेत नीति 2024 तैयार होने तक रेत आपूर्ति के लिए एक अंतरिम तंत्र के साथ बदल दिया।

➢ **रेत खनन**

- रेत खनन में नदी के तल, समुद्र तट या महासागर तल से रेत निकालना शामिल है।
- यह कई निर्माण और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
- **रेत के उपयोग:**
  - **निर्माण** : रेत कंक्रीट, मोर्टार और डामर का एक बुनियादी घटक है। इसका उपयोग सड़कों, पुलों और इमारतों के निर्माण में किया जाता है।
  - **काँच विनिर्माण** : कांच के उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रेत का उपयोग किया जाता है।
  - **भूमि पुनर्ग्रहण** : रेत का उपयोग जल निकायों से नई भूमि बनाने में किया जाता है।
  - **तटीय संरक्षण** : रेत पुन:पूर्ति का उपयोग तटीय कटाव से निपटने के लिए किया जाता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

5 September, 2024

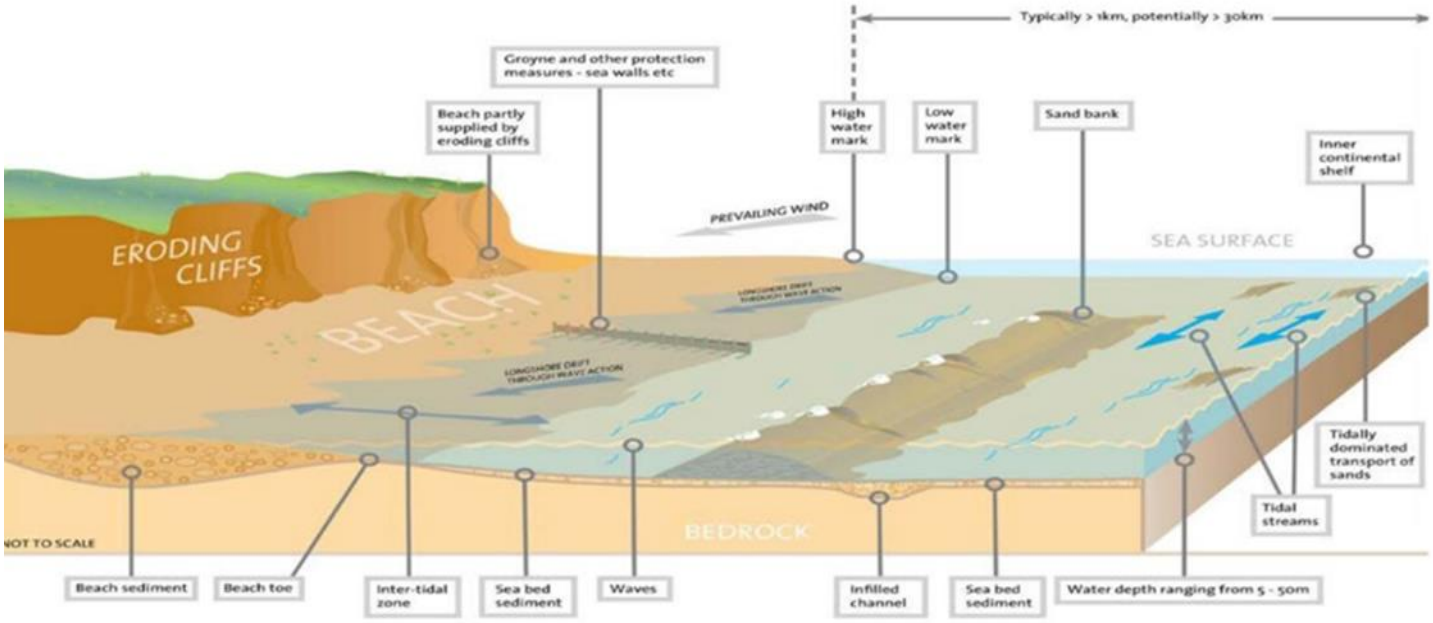

➢ रेत खनन की विधियाँ

- **नदी तल खनन** : इसमें नदी तल और बाढ़ के मैदानों से रेत निकालना शामिल है, जिससे नदी तट का कटाव होता है और नदी पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न होता है।
- **समुद्र तट खनन** : इसमें समुद्र तटों से रेत निकालना शामिल है, जिससे समुद्र तट का क्षरण होता है और तटीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए खतरा पैदा होता है।
- **ड्रेजिंग** : ड्रेजर का उपयोग करके समुद्र तल या सागर तल से रेत हटाया जाता है,जससे समुद्री पर्यावरण प्रभावित होता है। अक्सर बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
- **इन-स्ट्रीम खनन** : इसमें नदी के चैनलों से सीधे रेत निकालना, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करना शामिल है जिससे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है।

➢ अवैध रेत खनन:

- अवैध रेत खनन तब होता है जब खनन गतिविधियाँ बिना कानूनी अनुमति के या विनियमित क्षेत्रों के बाहर की जाती हैं। इसमें अक्सर शामिल होता है:
  - **अत्यधिक निष्कर्षण:** धारणीयता से अधिक रेत निकालना, जिससे पर्यावरणीय क्षति होती है।
  - **अनधिकृत क्षेत्र:** संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन करना।
  - **विनियमन का अभाव:** पर्यावरण कानूनों पर उचित निगरानी और अनुपालन का अभाव होना।

➢ अवैध रेत खनन के कारण:

- **उच्च मांग:** तेजी से शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण रेत की मांग तीव्र हो गई है।
- **आर्थिक प्रोत्साहन:** लाभदायक काला बाजारी बिक्री ऑपरेटरों को विनियमनों को दरकिनार करने के लिए लुभाती है।
- **कमजोर प्रवर्तन:** मौजूदा विनियमों की अपर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन।

➢ रेत खनन का विनियमन और नियंत्रण

- **लाइसेंसिंग और परमिट** : रेत खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सहित लाइसेंस या परमिट प्राप्त करना आवश्यक है।
- **ज़ोनिंग और भूमि उपयोग योजना** : रेत निष्कर्षण के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को नामित किया जाता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए संवेदनशील क्षेत्र को बाहर रखा जाता है।
- **पर्यावरण कानून** : रेत खनन के प्रतिकूल प्रभावों से प्राकृतिक संसाधनों, जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए कानूनों को लागू करता है।
- **निगरानी और प्रवर्तन** : रेत खनन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और निरीक्षण आयोजित करता है।

➢ भारत में रेत खनन का विनियमन

- **कानूनी ढांचा** :
  - खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 3(ई) के अंतर्गत रेत एक लघु खनिज है।
  - एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकारों को लघु खनिजों के लिए खदान और खनन पट्टों को विनियमित करने की अनुमति देती है।
- **राज्य सरकार प्राधिकरण** :
  - रेत सहित गौण खनिजों का विनियमन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
  - एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23सी राज्यों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने की अनुमति देती है।
- **राष्ट्रीय रूपरेखाएँ** :
  - खान मंत्रालय ने राज्य खनन विभागों के साथ मिलकर 'रेत खनन रूपरेखा' विकसित की, जिसमें स्थिरता और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - इस रूपरेखा को कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- **सतत् दिशानिर्देश** :
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रेत खनन विनियमन मुद्दों के समाधान के लिए सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 जारी किए।

भारत-भूटान संबंध

***संदर्भ**: हाल ही में भूटान ने अपने देश में नए भारतीय सलाहकारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।*

➢ अवलोकन:

- भूटान ने यह संकेत देकर अपनी स्वतंत्रता को और अधिक बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है कि वह नए भारतीय प्रशासनिक सलाहकारों की नियुक्ति को प्रोत्साहित नहीं करेगा। हालांकि वह वर्तमान सलाहकारों को तत्काल हटाने का अनुरोध नहीं कर रहा है, लेकिन वह चाहता है कि उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई प्रतिस्थापन न हो।

➢ भारत के लिए भूटान का सामरिक महत्व

- **राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-रणनीति**
  - भूटान की स्थिति, जो चीन और भारत दोनों की सीमा से लगती है, इस क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है।
- **आर्थिक और ऊर्जा संसाधन**
  - भूटान के विशाल **जलविद्युत संसाधन** भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **पर्यावरण और पारिस्थितिकी सहयोग**
  - साझा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण**
  - **सार्क** और **बिम्सटेक** के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण प्रयासों में भूटान की भागीदारी महत्वपूर्ण है , जो व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग में योगदान दे रही है।

➢ भारत और भूटान के बीच सहयोग

- **राजनयिक संबंधों** :
  - यह मैत्री और सहयोग संधि पर आधारित है , जिस पर पहली बार **1949** में हस्ताक्षर किये गये थे और **2007 में इसका नवीकरण किया गया था।**
- **व्यापार और आर्थिक संबंध** :
  - भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का स्रोत है, भारत भूटान के कुल एफडीआई का 50% प्रदान करता है।
  - व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौता (2016) एक मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करता है।
- **विकास साझेदारी** :
  - भूटान **2023-24 के लिए भारतीय बाह्य सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।**
  - भारत 2034 तक भूटान की 'उच्च आय' वाला राष्ट्र बनने की महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है तथा 'ब्रांड भूटान' को बढ़ावा देता है।
- **जलविद्युत परियोजनाएँ** :
  - भारत ने भूटान में चार प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं विकसित की हैं: कुरिचू, ताला, चूखा और मंगदेछू।
- **सांस्कृतिक एवं सुरक्षा संबंध** :
  - साझी बौद्ध विरासत सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाती है।
  - भारत-भूटान फाउंडेशन लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
  - भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (एमटीआरएटी) भूटान की शाही सेना की सहायता करता है तथा भारत का सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) परियोजना 'दंतक' के अंतर्गत सड़कें बनाता है।
- **नई पहल** :
  - सहयोग में RuPay और BHIM ऐप, भारत-भूटान SAT उपग्रह, तथा STEM शिक्षकों की कमी को दूर करना शामिल है।
  - भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से 5.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक भेंट की है।

➢ भारत-भूटान संबंधों में चुनौतियाँ

- जलविद्युत मुद्दे जैसे, पुनात्सांगछु I और II
- उग्रवाद
- भूटान ने बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन पहल को रोक दिया है।
- वित्तीय बोझ: 60:40 अनुदान-ऋण मॉडल से 30:70 मॉडल में परिवर्तन से भूटान का वित्तीय बोझ बढ़ गया है।
- चीनी प्रभाव: भूटान का चीन के साथ सीमा विवाद, जैसे डोकलाम, भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न करता है।

➢ भारत-भूटान-चीन गतिशीलता

- **चीन का बढ़ता प्रभाव**
  - भूटान के कुल व्यापार में चीन का योगदान 25% से अधिक है तथा वह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और दूरसंचार विस्तार में शामिल है।
  - चीन के क्षेत्रीय दावों में जकारलुंग, पासामलुंग और सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- **राजनीतिक पैंतरेबाजी**
  - अक्टूबर 2023 में भूटान के विदेश मंत्री की चीन यात्रा और उसके बाद हुए सीमा समझौते से चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में बदलाव का संकेत मिलता है।

- **भारत के लिए निहितार्थ**
  - भूटान में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरा बन सकता है, विशेष रूप से डोकलाम "त्रि-संयोग" या "त्रि-जंक्शन" के संबंध में।
  - चीन की बढ़ती उपस्थिति क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संतुलन को बदल सकती है, जिससे भूटान में भारत के पारंपरिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली

हाल ही में, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने लगभग 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के बारे में:

- केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने की एक नई प्रणाली है।
- यह पेंशनभोगियों को भारत में किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देगा और इससे 78 लाख से अधिक लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।
- यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में बदलने में भी मदद करेगा।
- यह प्रणाली कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें पेंशन सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त होना और पेंशन जारी होने के तुरंत बाद उसका क्रेडिट होना, वितरण लागत में कमी शामिल है।

फेम इंडिया योजना

हाल ही में, केंद्र द्वारा फेम इंडिया योजना के तीसरे चरण को एक या दो महीने के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

फेम इंडिया योजना के बारे में:

- भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना को राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 के तहत 2011 में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है।
- भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने 2015 में फेम इंडिया योजना तैयार की थी।
- फेम इंडिया योजना का पहला चरण, जो 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2019 तक चला, मांग सृजन, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, पायलट परियोजनाओं और चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर केंद्रित था।
- दूसरा चरण, जो अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और जिसे 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर जोर देता है।
- पहले चरण के लिए ₹895 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि दूसरे चरण के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट है।
- चरण III अस्थायी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 की जगह लेगा, जो सितंबर में समाप्त हो रही है।
- इसका लक्ष्य 2030 तक कुल परिवहन के 30% को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है।
- इस योजना का कार्यान्वयन और निगरानी भारी उद्योग विभाग के तहत राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड द्वारा की जाती है और यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना के रूप में संचालित होती है।

हरियाणा ग्रीन मेनिफेस्टो 2024

हाल ही में, हरियाणा में पर्यावरणविदों और नागरिक समाज के सदस्यों ने वायु प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, भूजल की कमी और अरावली की सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों को संबोधित करते हुए 'हरियाणा ग्रीन मेनिफेस्टो 2024' जारी किया।

हरियाणा ग्रीन मेनिफेस्टो 2024 के बारे में:

- 'हरियाणा ग्रीन मेनिफेस्टो 2024' हरियाणा में पर्यावरणविदों, पारिस्थितिकीविदों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा राज्य में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाई गई अपनी तरह की पहली पहल है।
- घोषणापत्र का उद्देश्य आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में इन पर्यावरणीय चिंताओं और मांगों को शामिल करना है।
- घोषणापत्र की मुख्य मांग अरावली को महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र (सीईजेड) के रूप में कानूनी रूप से नामित करना है, ताकि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक पारिस्थितिकी सेवाओं की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
- हरियाणा दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित स्थानों में से आठ का घर है।
- राज्य को अव्यवस्थित कचरे को डंप करने की महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- भूजल जलभृतों की कमी और प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ रही है, जो राज्य की जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- हरियाणा में भारत में सबसे कम वन क्षेत्र है, जो केवल 3.6% है, जो राष्ट्रीय औसत 21% से काफी कम है, जो पारिस्थितिक असंतुलन में योगदान देता है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

खबरों में व्यक्तित्व

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

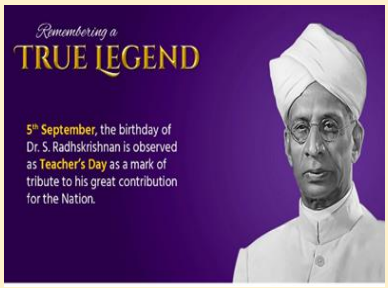

आज भारत के राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (5 सितंबर 1888- 17 अप्रैल 1975):

शिक्षाविद् और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी (अब तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में) में सर्वपल्ली राधाकृष्णय्या के रूप में हुआ था।

योगदान:

- उन्होंने यूनेस्को और बाद में सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के हितों का प्रतिनिधित्व किया था।
- 1952 में वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1962 में उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पद संभाला तथा 1967 तक इस पद पर रहे।
- उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में भारतीय दर्शन (1923-1927), उपनिषदों का दर्शन (1924), जीवन का आदर्शवादी दृष्टिकोण (1932) तथा पूर्वी और पश्चिमी विचार (1939) शामिल हैं।

पुरस्कार और सम्मान:

- डॉ. राधाकृष्णन को शिक्षा, दर्शन और राजनीति में उनके योगदान के लिए 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- वे साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- उन्हें अहिंसा की वकालत करने तथा प्रेम, ज्ञान और ईश्वर की वास्तविकता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित टेम्पलटन पुरस्कार भी मिला।
- उन्हें जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार और ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट सहित अन्य उल्लेखनीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।

POINTS TO PONDER

- भारत का कौन सा राज्य आज और कल (5-6 सितंबर 2024) दो दिवसीय वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन-2024-थीम "मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन" की मेजबानी कर रहा है?

  – **हैदराबाद**

- हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? – **केन्या**
- हाल ही में भारतीय नौसेना का P8I पोसिडॉन विमान 2024 में किस अभ्यास में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती पर है? – **अभ्यास वरुण**
- विष्णु युद्ध अभ्यास राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आयोजित एक मॉक ड्रिल है जो तैयारी के किस पहलू पर केंद्रित है? – **महामारी की तैयारी**
- हाल ही में कैबिनेट ने खरीद (भारतीय) श्रेणी के तहत किस विमान के लिए 240 एयरोइंजन (AL-31FP) की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी? – **Su-30 MKI**